राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(15)राज/वाद/08 पार्ट जयपुर, दिनांक 03/6/22

::आदेश::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.09.19 के द्वारा सुश्री पद्मालक्ष्मी अयंगर, अतिरिक्त महाधिवक्ता को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य के प्रकरणों में राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु आदेश में वर्णित सेवाशर्तों पर नियुक्त/अधिकृत किया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 27.09.19 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करते हुए सुश्री पद्मालक्ष्मी अयंगर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य के विचाराधीन/आवंटित प्रकरणों में सुश्री प्राची मिश्रा, पैनल लॉयर को अग्रिम आदेशों तक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में राज्य की ओर से पैरवी किये जाने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

सुश्री मिश्रा, पैनल लॉयर को इस विभाग के आदेश दिनांक 16.10.2019 के अनुसार फीस देय होगी।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली।
6. सचिव, गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
8. सुश्री पद्मालक्ष्मी अयंगर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में राजस्थान राज्य के विचाराधीन प्रकरणों की पत्रावलियॉं, जिनमें कि आपके द्वारा राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी की जा रही हैं, को सुश्री प्राची मिश्रा, पैनल लॉयर को अविलम्ब सुपुर्द करवाये जाने का श्रम करावें।
9. सुश्री प्राची मिश्रा, पैनल लॉयर, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली को निर्देशित किया जाता है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य के विचाराधीन प्रकरणों, जिनमें कि सुश्री पद्मालक्ष्मी अयंगर, अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार की ओर से पैरवी की जा रही है, की पत्रावलियॉं कार्यालय बीकानेर हाउस, नई दिल्ली से श्री अशोक यादव से अविलम्ब प्राप्त कर राज्य सरकार की ओर से उक्त प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से सुचारू रूप से पैरवी किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्राप्त पत्राविलयों की सूची इस विभाग को अविलम्ब प्रेषित की जावें।
10. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/अधिकरण शाखा, विधि विभाग।
11. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. सहायक लेखाधिकारी, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

03/6/2022
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि